

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 505/2023

प्रबंध समिति, बैसवारा डिग्री कॉलेज रायबरेली,
प्रबंधक देवेंद्र बहादुर सिंह के माध्यम से

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा,
उ.प्र. शासन लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: लक्ष्मण सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पियूष मिश्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी

1. हमारे पूर्व आदेश के अनुपालन में, उच्च शिक्षा निदेशक, डॉ. बी.एल. शर्मा उपस्थित हैं।
2. हमारे पूर्व आदेश के उत्तर में यह सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता ने संदर्भित आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी थी, जिसके आधार पर उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा 22.01.2026 को निर्णय लिया गया है। इसे उनके द्वारा आज दाखिल शपथ पत्र दिनांक 27.01.2026 के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. निदेशक के दिनांक 22.01.2026 के आदेश में कही गई बातों के आलोक में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें इस नए निर्णय को चुनौती देनी होगी, क्योंकि यह एक नया निर्णय है, जो लिया गया है।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा उ.प्र. के उक्त निर्णय दिनांक 22.01.2026 को देखते हुए, और अपीलकर्ता-प्रबंधन समिति द्वारा दी जाने वाली किसी भी संभावित चुनौती के अधीन यदि अन्यथा स्वीकार्य हो, विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय के तर्क की पुष्टि होती है। इसलिए, हमें विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। हालांकि, यह आदेश अपीलकर्ता के उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत वे दिनांक 22.01.2026 के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं और कानून के अनुसार अन्य परिणामी अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे या विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से प्रभावित नहीं होगी।
5. तदनुसार, अपील **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

27 जनवरी, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।